महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता
संख्या- 6/2021/1889/तीस-4-2021

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक : 02 दिसम्बर, 2021

विषय : लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं बचाव के सम्बन्ध में आमजन में जागरूकता/प्रचार-प्रसार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-वी0पा0ला0-एचसी-बजट-(एन)/2019-पी-7/6-2020/पीएपी(यूपीएसआरटीसी), दिनांक 20.10.2021 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 द्वारा अवगत कराया गया है कि लखनऊ सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु उ0प्र0 पुलिस द्वारा महिला हेल्पलाइन/वीमेन पावर लाइन-1090 द्वारा महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अपनाई जा रही उन्नत तकनीक के बारे में आमजन को जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता तथा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इस कार्य में परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे बसें, ट्रक, भारी व मध्यम वाहन हल्के वाहन/टैक्सी, कैब इत्यादि वाहनों की ब्राडिंग प्रचार-प्रसार के लिए एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो सकते हैं। अतः महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए अपनायी जा रही तकनीक से सर्वसाधारण को भिज्ञ कराते हुए अधिक से अधिक पीड़ित महिलाओं की पहुंच 1090 तक बनाने के लिए परिवहन हेतु प्रयोग किये जा रहे उक्त वाहनों की तद्नुरूप ब्राडिंग कराने के लिए संबंधित को निर्देश निर्गत करने की अपेक्षा की गई है।

3. अतः उक्त अपेक्षानुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संभागीय परिवहन कार्यालयो/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में जो यात्री वाहन/माल वाहन फिटनेस हेतु आती हैं, उनमें मालवाहनों के पीछे तथा यात्री वाहनों में प्रवेश द्वार अथवा इसके आस-पास ऐसे स्थानों पर जहाँ पर जनसामान्य/यात्रीगण की दृष्टि सहजता से पड़ सके, वहाँ पर आमजन की जागरूकता हेतु स्टीकर लगाया जाय, जिससे कि प्रदेश के समस्त जिलों के दूरस्थ स्थानों तक इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके।

इस हेतु महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 द्वारा समस्त जनपदीय कार्यालयों को आवश्यक स्टीकर उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

....2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0, लखनऊ, प्रशासनिक भवन-2, निकट 1090 चौराहा, लोहिया पथ, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 20.10.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।